

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०२१

पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०२१

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ९क का अंतःस्थापन.
४. धारा १० का स्थापन.
५. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०२१

पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०२१

पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. पंडित एस. एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (क्रमांक २८ सन् २०१६) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ज-क) “प्रति कुलपति” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ९क में यथा विहित कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति;”.

३. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ९क का अंतःस्थापन.

“९क. कुलपति किसी एक संकायाध्यक्ष को प्रति कुलपति के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो कुलपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं.”.

४. मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा १० का स्थापन.

“१०. विश्वविद्यालय के अधिकारियों में प्रति कुलपति, संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण, कुल सचिव, वित्त नियंत्रक और ऐसे अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे, जिन्हें कि परिणियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए.”.

५. (१) पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक ६ सन् २०२१) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. निरसन तथा व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्यवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन १४ राज्य विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं. १४ विश्वविद्यालयों में से ०८ राज्य विश्वविद्यालयों में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) के उपबंध के अधीन रेक्टर के लिए उपबंध है और ०३ राज्य विश्वविद्यालयों जैसे महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन तथा अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल में उनसे संबंधित अधिनियमों के उपबंध के अधीन प्रति-कुलपति के लिए उपबंध है. मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल, पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु के अधिनियमों में न तो रेक्टर के पद के लिए और न ही प्रति-कुलपति के पद के लिए उपबंध है.

२. समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपने सशक्त शैक्षणिक और प्रशासनिक नियंत्रण द्वारा अपनी गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं. इन विश्वविद्यालयों पर आवश्यक शैक्षणिक और प्रशासनिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए प्रति-कुलपति का पद अधिक प्रभावी होगा.

३. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम दिनांक १८ जुलाई, २०१८ के अनुरूप मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल, पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु तीनों राज्य विश्वविद्यालयों में प्रति-कुलपति के पद के लिए उपबंध प्रस्तावित किया गया है. अतएव, पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (क्रमांक २८ सन् २०१६) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

४. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक ६ सन् २०२१) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख १५ फरवरी, २०२१

डॉ. मोहन यादव
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन १४ राज्य विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। १४ विश्वविद्यालयों में से ०८ राज्य विश्वविद्यालयों में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) के उपबंध के अधीन रेक्टर के लिए उपबंध है और ०३ राज्य विश्वविद्यालयों जैसे महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन तथा अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल में उनसे संबंधित अधिनियमों के उपबंध के अधीन प्रति-कुलपति के लिए उपबंध है। मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल, पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु के अधिनियमों में न तो रेक्टर के पद के लिए और न ही प्रति-कुलपति के पद के लिए उपबंध है।

२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम दिनांक १८ जुलाई, २०१८ के अनुरूप मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल, पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु तीनों राज्य विश्वविद्यालयों में प्रति-कुलपति के पद के लिए उपबंध किया जाना आवश्यक था।

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक ६ सन् २०२१) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था।

ए. पी. सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा।

उपाबंध

पंडित एस. एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (क्रमांक २८ सन् २०१६) से उद्धरण

* * * * *

- धारा-२ (क) "विद्या परिषद" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद;
- (ख) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;
- (ग) "संकायाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के स्कूल का संकायाध्यक्ष;
- (घ) "संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;
- (ङ) "विभाग" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का विभाग;
- (च) "कार्य परिषद" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद;
- (छ) "वित्त नियंत्रक" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक;
- (ज) "शासी निकाय" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का शासी निकाय;
- (झ) "हाल" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई संधारित या मान्यता प्राप्त निवास इकाई, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो;
- (ञ) "विहित" से अभिप्रेत है, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित;
- (ट) "मान्यता प्राप्त संस्था" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या मान्यता प्राप्त या उसके साथ संबद्ध कोई उच्च शिक्षण संस्था;
- (ठ) "कुलसचिव" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलसचिव;
- (ड) "केन्द्र" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित केन्द्र;
- (ढ) "परिनियमों" "अध्यादेशों" और "विनियमों" से अभिप्रेत है, तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम;
- (ण) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन स्थापित पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय;
- (त) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) की धारा ४ के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;
- (थ) "कुलपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलपति;

* * * * *

धारा-९

- (१) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति में तथा ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों के साथ जो कि परिनियमों में विहित किया जाए, पांच वर्ष की कालावधि के लिए की जाएगी.
- (२) कुलपति, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अधिकारी होगा और कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा.
- (३) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, कुलपति उपाधि प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह और शासी निकाय के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.

* * * * *

धारा-१०

विश्वविद्यालयों के अधिकारियों में संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, ऐसे अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे, जिन्हें कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.